न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपीलसंख्या : 68/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– विनोद सिंह पुत्र स्व. श्री शक्तिसिंह जाति राजवी निवासी गली नं. 2–बी, रामपुरा बस्ती, माताजी मंदिर के पास, लालगढ जिला बीकानेर।

–––––अपीलान्ट

––बनाम––

राजस्थान राज्य।

–––––रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :– श्री संजय बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :– श्री कमलजीतसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 12.03.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 27.07.2011, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री शक्ति सिंह पुत्र रणजीत सिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 202/81 (एफ–21–1(30) नायल–81) पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 13.03.2010 द्वारा निरस्त करने पर इस न्यायालय में अपील सं. 7/2011 आर्म्स एक्ट अनवानी विनोदसिंह बनाम स्टेट प्रस्तुत की गई, जिसमें निर्णय दिनांक 25.04.2011 में अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि शस्त्र अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विचार करते हुए अपीलांट को पुनः सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा रिमाण्ड प्रकरण दर्ज कर पुनः अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए मुकदमा संख्या 01/11 आर्म्स एक्ट अनवानी स्टेट बनाम विनोदसिंह में निर्णय दिनांक 27.7.2011 से खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित है। प्रकरण में मैरिट पर सुनवाई करते हुए अपील मीमो का अध्ययन एवं मनन किया गया। अपील मीमो में वर्णित कथनानुसार अपीलांट के विरूद्ध पुलिस की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट/टिप्पणी रिकार्ड पर नहीं है। शस्त्र चलाने के प्रमाण पत्र के संबंध में भी कथन गया किया कि ऐसी कोई संस्था बीकानेर में नहीं है जो शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र देती हो। अपीलांट की माता के नाम से सीमान्त क्षेत्र मोहनगढ जिला जैसलमेर में कृषि भूमि है, जिसको संभालने के लिये अपीलांट को जाना पड़ता है। सीमान्त क्षेत्र होने की वजह से उस इलाके में अपीलांट की जान-माल को हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र की सख्त आवश्यकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री कमलजीतसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य, जिससे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होने की पुष्ठि होती हो, प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करना चाहता है, जबकि शस्त्र उत्तराधिकार में दी जाने की वस्तू नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावें।

5. हमने अपील मीमो में उल्लेखित कथन एवं विद्वान सहायक लोक अभियोग की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में पूर्व में इस न्यायालय की अपील सं. 7/2011 आर्म्स एक्ट अनवान विनोदसिंह बनाम राज.राज्य में पारित निर्णय दिनांक 25.4.2011 में प्रकरण रिमाण्ड कर दिये गये निर्देशों की पालना में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान किया, परन्तु अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी पुनः असफल रहा है। अपीलांट उत्तराधिकार में अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन कर रहा है, जबकि वह शस्त्र अनुज्ञा पत्र एवं शस्त्र धारण की योग्यता नहीं रखता है। हमारे समक्ष भी अपीलांट द्वारा कोई नवीन साक्ष्य-सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये, ना ही

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कोई सारगृभित तथ्य प्रस्तुत किये, जिस पर कोई गौर किया जा सके। हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलांट अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करना चाहता है, जबकि शस्त्र उत्तराधिकार में दी जाने की वस्तु नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2011 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 12.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर